12/12/17 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी दीगर राजकीय कार्य में व्यस्त है।
[illegible] में है। [illegible] कार्यवाही हेतु पत्रावली
[illegible] 23/12/18 [illegible] हो।

रीडर

23/7/18 पत्रावली पेश। वकुलाय उभय आर्थ 5,6 की
ओर से पृथक पृथक पाठक एवं 4 की ओर से पृथक पाठक
के वकालतनामा पेश किया। प्र०सं० 1,2,3,7 के वकील उपस्थित
नहीं। अनुरोध है इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
लायी जाती है एवं प्र०सं० 8,9 के वकील का अमल समाप्त
किया जाता है। अब प्रकरण तकालीन आपत्ति का है। वकुलाय
को सुना गया। वादी के पक्ष की प्रारंभिक निर्णीत किया
जाता है एवं आ०वि० नं० 781, 782, 783, 784 पंजीकृत
दानपत्र हवीलकुन्डावर के पक्ष में निरस्त किये जाते हैं। तदानुसार
वहीलकुन्डावर की अहकाम जारी है। तदानुसार
प्रारंभिक पत्रावली डिग्री जारी हो। पक्ष प्रार्थी को दिनांक
प्रस्तुत पत्रावली डिग्री के 24/4/18 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

08/3/18 आज पत्रावली वादी वा वकील वादी की नियमानुसार प्रस्तुत मसौदे की
अनुमति के साथ दावा डिक्री कराये जाने की प्रार्थना प्रस्तुत होने पर
पेश हुई। वादी की ओर से तैयब खान ने वकालतनामा पेश किया। दस्तावेज
पेश गवाह दस्तखत की जाती है। शामिल पत्रावली रहे। अग्रिम कार्यवाही
प्रारंभिक स्तर पर ट्रेपक प्रकरण प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वाद पत्र की
डिक्री कराये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। केस चला है। नस्तीबद्ध करें। वाद
तकमीलजात फिर से लेकर आवे। पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner